# अनुदान संख्या 34 – वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां
# GRANT No. 34–PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 3515,41,00 | 3625,34,00 | 2091,33,44 | –1534,00,56 |
| पूरक | Supplementary | 109,93,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 845,43,89 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 9209,13,00 | 9710,16,00 | 9710,07,06 | –8,94 |
| पूरक | Supplementary | 501,03,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 5,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (153400.56 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 10993.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of grant, the overall savings (Rs.153400.56 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.10993.00 lakhs obtained in December,2004 and March, 2005 and constituted 42 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2235" | Major Head "2235" | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 15500.00 | 28053.00 | 27944.10 | –108.90 |
| पू. | S. | 1.00 | | | |
| पु. | R. | 12552.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं | Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions | | | | |
| मू. | O. | 82830.00 | | | |
| पू. | S. | 501.00 | 7055.50 | 6554.48 | –501.02 |
| पु. | R. | –76275.50 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals | | | | |
| मू. | O. | 98172.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 94813.50 | 78525.21 | –16288.29 |
| पु. | R. | –3359.50 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं | Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions | | | | |
| मू. | O. | 120000.00 | | | |
| पू. | S. | 10488.00 | 133054.01 | 81182.93 | –51871.08 |
| पु. | R. | 2566.01 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3466" अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं | Major Head "3466" International Financial Institutions | | | | |
| मू. | O. | 965.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 1763.10 | 1679.04 | –84.06 |
| पु. | R. | 797.10 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Major Head "3475" Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 21572.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 750.00 | 747.68 | –2.32 |
| पु. | R. | –20823.00 | | | |

(I) 22813.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 22753.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - समुदाय आधारित विश्व स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्रकी सामान्य बीमा कंपनियों को अदायगी''- 500.00 लाख रु. भारतीय जीवन बीमा निगम से दावे प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं- अन्य व्यय - भारतीय निर्यात-आयात बैंक को अनुदान''- 1453.00 लाख रु. भारतीय निर्यात-आयात बैंक से दावे प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय - भारत सहस्राब्दी जमा पर विनिमय हानि''- 20800.00 लाख रु. विनिमय दर में अनुकूल परिवर्तन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान'' के अंतर्गत 80530.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 501.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 81031.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, सहकारिता पर कार्य बल संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 76751.02 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं- अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान''- 31910.00 लाख रु. की बचत (57410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.22813.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.22753.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes -Other Expenditure - Payment to Public Sector General Insurance Companies for community Based Universal Health Insurance Scheme"- Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Life Insurance Corporation of India.

(B) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Grant to Export-Import Bank of India" - Rs.1453.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Export - Import Bank of India.

(C) Major Head "3475" - "Other Expenditure-Exchange Loss on India Millennium Deposits"- Rs.20800.00 lakhs - due to favourable exchange rate variation.

(II) Under Major Head "2416"- "Other Expenditure-Grants to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)"-the original provision of Rs.80530.00 lakhs was augmented to Rs.81031.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.501.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.76751.02 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of report on task force on co-operatives.

(III) Under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions-Other Expenditure"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants to Industrial Development Bank of India"- saving of Rs.31910.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.57410.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Industrial Development Bank of India than anticipated.

(खा) ''भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अनुदान''- 282.50 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु उद्योग विकास बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(B) "Grants to Small Industrial Development Bank of India"- saving of Rs.282.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to receipt of less claims for re-imbursement from Small Industrial Development Bank of India than anticipated.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3465'' - ''सामान्य वित्तीय संस्थाएं - सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता - भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता'' के अंतर्गत 49734.00 लाख रु. की बचत (120000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3465" - "General Financial Institutions-Assistance to General Financial Institutions-Assistance to Unit Trust of India"-saving of Rs.49734.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.120000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Unit Trust of India than anticipated.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (30559.21 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 10993.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (Rs.30559.21 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10993.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय''-

(क) ''सूखा प्रभावित व्यक्तियों को खरीफ कर्ज, 2002 पर आंशिक ब्याज का अधित्याग''- 1736.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1628.10 लाख रु. था।

(ख) ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी''- 11316.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11315.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं- अन्य व्यय''-

(क) ''भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को अनुदान''- 5000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4999.00 लाख रु. था।

(ख) ''भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम को अनुदान''- 9150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9000.00 लाख रु. था।

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes-Other Expenditure" -

(a) "Waiving of partial interest on Kharif Loans, 2002 to drought affected persons"- Rs.1736.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1628.10 lakhs.

(b) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens"- Rs.11316.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11315.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions-Other Expenditure" -

(a) "Grants to Industrial Credit and Investment Corporation of India." – Rs.5000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4999.00 lakhs.

(b) "Grants to Industrial Financial Corporation of India"- Rs.9150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9000.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता - आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड को अनुदान"- 2566.01 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 428.93 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3466" - "विकास प्रवेशद्वार प्रतिष्ठान-अंशदान की अदायगी"- 791.20 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 791.99 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 4.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "3465" – "General Financial Institutions-Assistance to General Financial Institutions - Grant to Infrastructure Development Finance Company Ltd." - Rs.2566.01 lakhs. Actual excess, however, was Rs.428.93 lakhs.

(D) Major Head "3466" - "Development Gateway Foundation-Payment of Contribution" – Rs.791.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.791.99 lakhs.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.4.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.